दिनांक 01.03.2014 को नेतरहाट विद्यालय समिति की कार्यकारिणी समिति के सभापति, श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में,समिति कार्यालय रांची में,कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	पता	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री नरेन्द्र भगत, भा०प्र०से०,(सेवा निवृत)	(पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय)	सभापति	उपस्थित
2.	श्री ज्योति भ्रमर तुबिद, भा०प्र०से०	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, भा०प्र०से०	प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग झारखण्ड, राँची।	सदस्य	अनुपस्थित
4.		वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत)	सदस्य	अनुपस्थित
5.		निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची।	सदस्य	अनुपस्थित
6.	श्री बिमलांशु शेखर मल्लिक	प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित
7.	श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद	184/सी0 2, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची।	सदस्य	उपस्थित
8.	डा० अमलेन्दु शेखर मित्र	मातृछाया, दिव्यायन के दक्षिण, मोरहाबादी, राँची।	सदस्य	उपस्थित

कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने अन्य आवश्यक सरकारी बैठक में अपनी व्यस्तता के कारण इस बैठक में भाग लेने में असमर्थ जतायी तथा अनुपस्थिति अवकाश का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार किया गया।

   वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री अरूण कुमार सिंह, उप सचिव, वित्त विभाग ने बैठक में भाग नहीं लिया और न ही इसकी पूर्व सूचना उन्होंने दी। इसके पहले की बैठक जो दिनांक 31.12.2013 को नेतरहाट विद्यालय परिसर में की गई थी, उक्त बैठक में भी वित्त विभाग के प्रतिनिधि बिना कोई सूचना के अनुपस्थित रहे। अतएव वित्त विभाग के प्रधान सचिव से अनुरोध किया जाय कि 'समिति' में उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की विधिवत आहूत बैठकों में सहभागिता रहे, इस आशय का निदेश कृपया वे अपने स्तर से दे दें।

   प्रशासी मानव संसाधन विकास विभाग के प्रतिनिधि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का पद रिक्त होने के कारण उक्त विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया।
2. विगत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।
3. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 31.12.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के प्रसंग में समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई –

   उक्त प्रतिवेदन की कंडिका–**अन्यान्य की उपकंडिका (i)** के संदर्भ में 'समिति' को अनौपचारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि प्रशासी मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा नेतरहाट विद्यालय परिसर स्थित भवनों के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण कार्य हेतु योजनावार सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में निहित कुल प्राक्कलित राशि 55.78 करोड़ रू० से सम्बन्धित 'समिति' के प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रशासी विभाग का उपर्युक्त निर्णय पर 'समिति' द्वारा चिन्ता एवं विस्मय व्यक्त किया गया। कारण यह है कि दिनांक 28.01.2014 को 'समिति' के सामान्य निकाय की बैठक की अनुमोदित कार्यवाही की **कंडिका : 4(क)** के आलोक में प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव सह–सदस्य को इस आशय का निदेश हुआ था कि समर्पित सभी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं को, प्रशासनिक स्वीकृति की दृष्टि से, समेकित–स्वरूप नहीं देखें, बल्कि योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर प्रावधानानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई करें।

स्पष्ट है कि समिति के सामान्य निकाय के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में प्रशासी विभाग के स्तर पर तदनुरूप कार्रवाई न कर, किंचित भिन्न कार्रवाई प्रक्रियारत बतायी गयी है। परिणामतः विगत दो वर्षो से लम्बित चले आ रहे इन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति अबतक पूर्णतः बाधित रही है तथा इस प्रकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन अबतक पूर्णरूपेण अवरूद्ध हैं।

ज्ञातव्य हो कि नेतरहाट विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्वायत्तता प्रदान किये जाने में निहित मंशा यही रही है कि इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था की प्रशासन व्यवस्था तथा दिनानुदिन प्रशासन को और सुदृढ़, सुनियोजित तथा सरल बनाया जा सके। इसी दृष्टि से समिति को दो स्तरों पर–सामान्य निकाय तथा कार्यकारिणी समिति–निरूपण करते हुए तद्नुसार उन्हें विधिवत स्थापित एवं कार्यरत बनाया गया है। वस्तुतः, यह 'समिति' तथा प्रशासी मानव संसाधन विकास विभाग को नेतरहाट विद्यालय के संदर्भ में, पारस्परिक पूरक दायित्व निर्धारण तथा उनके निर्वहन की भूमिका उन्हें सुपुर्द है।

अतएव, इस दृष्टि से संदर्भित विषय पर 'समिति' के सामान्य निकाय के उपर्युक्त निर्णय तथा प्रशासी विभाग के अनौपचारिक तौर पर संसूचित निर्णय में मतभिन्नता की स्थिति, प्रशासनिक दृष्टि से किंचित उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। अस्तु प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करते हुए विषय वस्तु के त्वरित समाधान का आग्रह किया जाय तथा इसे सामान्य निकाय के अध्यक्ष–सह–मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग की दृष्टि में भी 'समिति' द्वारा लाया जाय, इस आशय का निर्णय लिया गया।

(i) उक्त प्रतिवेदन की कंडिका 6 : **अन्यान्य उपकंडिका (vi)** में वर्णित प्रतिवेदन के प्रसंग में 'समिति' द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय वेबसाइट का शीघ्र अद्यतन किये जाने हेतु संबन्धित एजेंसी को निदेशित किया जाय।

(ii) उक्त प्रतिवेदन की कंडिका 6 : **अन्यान्य उपकंडिका (vii)** के अनुपालन प्रतिवेदन के प्रसंग में समिति का विद्यालय प्राचार्य को इस आशय का निदेश हुआ कि वे अनुकम्पा नियुक्ति विषयक सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तार करते हुए 'समिति' की आगामी बैठक में तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन दें।

(iii) उक्त प्रतिवेदन की कंडिका 6 : **अन्यान्य : उपकंडिका (x)** विद्यालय में कार्यरत गणित विषय के शिक्षक श्री सतीश कुमार तिर्की की वरीयता सूची में संशोधन विषयक उनके अभ्यावेदन पर सुसंगत अद्यतन सरकारी अनुदेश/परिपत्र के आलोक में विचार किया गया। पूर्व में समिति द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता, उनकी अन्तर्वीक्षा में मूल्यांकन उपरान्त दिये गये अंको पर आधारित कर गठित की गई; एवं तद्नुसार चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया। कम्प्युटर विषय के शिक्षक श्री रवि रंजन का चयन भी उसी संव्यवहार के अन्तर्गत किया गया था, किन्तु किंचित कारणवश उन्हें योगदान हेतु विलम्ब से सूचित किया गया। तथ्य यह है कि श्री रवि रंजन तथा श्री तिर्की को अन्तर्वीक्षा में मूल्यांकन आधारित प्राप्तांक समान थे–दोनो वरीयता सूची के क्रमांक 1 (एक) .पर bracketed थे। ऐसी स्थिति में प्रभावी सरकारी अनुदेश के अनुसार जो अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि के आधार पर वरीय हो, उसे वरीयता क्रम में वरीय माना जाना है।

उपर्युक्त आलोक में श्री तिर्की के अभ्यावेदन को सांगोपांग विचारोपरान्त अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं की अदायगियां मद से मानदेय मद में रू० 2,61,700.00 (दो लाख एकसठ हजार सात सौ)मात्र तथा सामग्री एवं आपूर्तियां मद सं० मानदेय मद में रू० 1,43,310.00 (एक लाख तैंतालीस हजार तीन सौ दस) मात्र राशि के पुनर्विनियोग की कार्योपरान्त स्वीकृति, साथ ही, अतिरिक्त मानदेय राशि के तदनुसार पुनर्विनियोग की स्वीकृति दी गई।

5. **कार्यसूची की मद सं० 4 की –**

उपकंडिका (क) : विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इंटरनेट/दूर संचार सेवा के भलीभांति संचालन किये जाने हेतु बि.एस.एन.एल, रांची अंचल को निरंतर आग्रह के बावजूद अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने की पृष्ठिभूमि में, विकल्प स्वरूप अन्य प्राइवेट एजेंसी, यथा, एयरटेल से प्राचार्य संपर्क कर विस्तृत प्रस्ताव तथा अनुमानित व्यय का विवरण समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

उपकंडिका (ख) : विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष 2015–16 के प्रभाव से CBSE से सम्बद्धता के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय प्राचार्य उक्त सम्बद्धता हेतु निर्धारित विभिन्न मापदंडों के आलोक में, बिन्दुवार, एक विस्तृत प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

उपकंडिका (घ) : नेतरहाट स्थित शैले एवं एनेक्सी भवन को लातेहार प्रशासन द्वारा नेतरहाट विद्यालय प्रशासन को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में श्री जे.बी.तुबिद समिति के सदस्य सह–प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, द्वारा यह अवगत कराया गया कि वे अपने स्तर पर इस पर अपेक्षित कार्रवाई कर रहे हैं।

उपकंडिका (ड.) : विद्यालय के हीरक जयन्ती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकार की ओर से आमंत्रण पत्र–प्रारूप, जो विद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, को अंतिम स्वरूप देने हेतु सभापति को अधिकृत किया गया तथा यह निर्णय हुआ कि उक्त प्रारूप पर विभागीय मंत्री एवं तदोपरान्त विभागीय मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन शीघ्र प्राप्त किए जायं।

उपकंडिका (च) : नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010 के नियम 12 के अधीन कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य के नियम 20 के उपनियम (i) के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति कार्यकारिणी समिति में निहित किए जाने हेतु विचार–विमर्श।

लगभग 3 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2010 में नेतरहाट विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तता प्रदान किये जाने के मूल में यह मंशा निहित थी कि विद्यालय की प्रशासनिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक क्रियाशील तथा गति प्रदान की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नेतरहाट विद्यालय समिति का गठन तथा निबन्धन, सोसाइटीज निबन्धन अधिनियम, 1860 के अधीन, कराया गया तथा तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचना 9 नवम्बर 2010 को निर्गत की गई। समिति की नियमावली के अधीन सामान्य निकाय तथा कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रावधान किये गये तथा उक्त दोनों स्तरों पर समिति विधिवत सम्प्रति कार्यरत है।

नेतरहाट विद्यालय परिसर स्थित विभिन्न संरचनाओं–प्रशासनिक भवन, क्लास रूम, आश्रमादि के जीर्णोद्धार/विस्तार तथा प्रस्तावित नवनिर्माण के प्रसंग में योजनावार प्रस्ताव विगत कई महीनों पूर्व बनाए गए, उन सभी प्रस्तावों पर योजनावार तकनीकी स्वीकृति भवन निर्माण विभाग से विधिवत प्राप्त की गई। तदोपरान्त उनके प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग का यह अभिमत प्राप्त हुआ कि प्रावधानानुसार उन योजनाओं के सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। परिणाम यह है कि प्रशासनिक स्वीकृति अब तक प्रतीक्षित है, किसी–न–किसी कारणवश। योजनाओं के कार्यान्वयन पूर्णतः अवरूद्ध है।

उक्त वर्णित स्थिति नेतरहाट विद्यालय की स्वायत्तता को सर्वथा निरर्थक सिद्ध करता हुआ दीख पड़ता है। अतएव यह निर्णय लिया गया कि नेतरहाट विद्यालय समिति की नियमावली के

नियम 20 : कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य के उपनियम (i) द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रदत्त शक्ति के अधीन नेतरहाट विद्यालय के कार्यों के उचित प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु बजटीय उपबंध के अधीन, सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए कार्यकारिणी समिति पूर्णतया सक्षम होगी।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में नियमावली में सुसंगत नियम के अधीन उक्त आशय के प्रावधान को एक अलग नियम/उपनियम के रूप में समाहित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासी विभाग को समर्पित किया जाय।

6. **कार्यसूची की मद सं० 5** : विद्यालय के हीरक जयन्ती समारोह के प्रसंग में दिल्ली स्थित पूर्ववर्ती छात्र श्री आनंद कुमार के ई–मेल द्वारा प्रस्तुत सुझाव : यथा, विद्यालय का स्मृति डाक टिकट, हीरक जयन्ती द्वार अथवा हीरक जयन्ती स्तम्भ स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति 'समिति' द्वारा व्यक्त की गई। विगत 23 फरवरी 2014 को पटना नोबा के साथ समिति के सभापति तथा विद्यालय के प्राचार्य की हुई बैठक में दिये गये सुझाव : यथा विद्यालय परिसर में प्रस्तावित समारोह, पूर्व प्रस्तावित समारोह 7 दिनों के स्थान पर 4 दिनों का रखा जाय तथा हीरक जयन्ती स्मृति सिक्का (Coin) 15 नवम्बर 2014 को निर्गत किये जाने हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाय, की सैद्धान्तिक सहमति दी गई। रांची नोबा के सदस्य द्वारा प्रस्तावित बी०डी० पाण्डेय वेधशाला के स्थापना की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी।

7. **कार्यसूची की मद सं० 6** : सामान्य निकाय तथा कार्यकारिणी समिति के गैर सरकारी सदस्यों–सभापति सहित–के सक्रिय योगदान तथा सहभागिता हेतु उन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 में मानदेय भुगतान के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया।

सम्प्रति, पुनर्गठित सामान्य निकाय में तीन गैर सरकारी सदस्य तथा कार्यकारिणी समिति में भी तीन–सभापति सहित–हैं। प्रावधानानुसार, सामान्यतः, सामान्य निकाय की बैठक प्रतिवर्ष कम–से–कम एक बार; कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बैठक आहूत की जानी है।

दो स्तरों पर गठित उक्त समिति द्वारा नेतरहाट विद्यालय के प्रसंग में नीति विषयक सहित अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर, समय–समय पर, बैठकों में निर्णय लिए जाने के क्रम में सरकारी सदस्यों सहित गैर–सरकारी सदस्यों की भी महती भूमिका अबतक बनी हुई है। इस दृष्टि से इन गैर सरकारी सदस्यों–सभापति सहित–को 'समिति' की आहूत बैठकों में उनकी सहभागिता के लिए पारिश्रमिक राशि (REMUNERATION) भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रति बैठक, प्रति सदस्य,यह पारिश्रमिक राशि 5000.00रू०(पांच हजार रूपये) मात्र, तथा सभापति को बैठक–पूर्व, बैठक–पश्चात तथा दिनानुदिन सुपुर्द विशद दायित्व निर्वहन की भूमिका के आलोक में उन्हें प्रति बैठक 10,000.00रू०(दस हजार रूपये) मात्र पारिश्रमिक राशि नियत किए जाने का निर्णय लिया गया।

8. **कार्यसूची की मद सं० 7** : वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के प्रसंग में यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय प्राचार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि का अंकेक्षण शीघ्र करा लें तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 का विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रारूप समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

9. **कार्यसूची की मद सं० 8** : विद्यालय की प्रबन्धन समिति के गठन पर समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका। इसे आगामी बैठक की कार्य सूची में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

10. **कार्यसूची की मद सं० 9 : अन्यान्य की –**

उपकंडिका (क) : कार्यकारिणी समिति की ओर से फरवरी 2014 प्रथम सप्ताह में पूर्ववर्ती छात्रों तथा नोबा इकाइयों को प्रेषित पत्रों को समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत किया जाय।

उपकंडिका (ख) : रांची मुख्यालय स्थित विभिन्न लोक उपक्रमों को विद्यालय के पक्ष में दान, अनुदान, उपहार आदि में अनुरोध किये जाने हेतु पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

उपकंडिका (ग) : विद्यालय के शिक्षकों के लिए Orientation Course तथा कम्प्युटर प्रशिक्षण संचालित करने के प्रस्ताव पर विद्यालय प्राचार्य को इन कार्यक्रमों की रूपरेखा का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

उपकंडिका (घ) : रांची स्थित 'समिति' के कार्यालय के लिए एक कन्फरेन्स टेबुल, एक सुपर डिलक्स कुर्सी (Revolving) तथा 8 कुर्सी (Revolving) लागत क्रमशः रू० 29,872.35, 7,347.06 तथा 50,500.74 कुल पर वैट रू० 12,279.85 (कुल लागत रू० 1,00,000.00) के क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

उपकंडिका (ड.) : समिति' कार्यालय के सभापति–कक्ष का विस्तार करने, बरामदा को घेरने तथा खिड़कियों में जाली/ग्रील लगाने (कुल अनुमानित लागत रू० 2,71,600.00) के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक सहमति दी गई। प्रस्तावित कार्य बजटीय उपबन्ध की स्थिति का आकलन करते हुए कराये जाने का निर्णय लिया गया।

उपकंडिका (च) : विद्यालय प्राचार्य ने समिति को यह अवगत कराया कि शिक्षकों के विज्ञापित 12 पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की Screening की जा चुकी है। अतएव विद्यालय प्राचार्य को यह निदेश हुआ कि उपर्युक्त सम्पूर्ण समेकित सूची सहित Short Listed अभ्यर्थियों की सूची सभापति को आगामी दो सप्ताह के अन्दर समर्पित कर दें ताकि उनपर समिति स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा सके। तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की Screening विद्यालय स्तर पर कर ली गई है, ऐसा समिति को अवगत कराया गया है। इन कर्मियों के नियुक्ति पदाधिकारी, विद्यालय प्राचार्य हैं। अतएव इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को अन्तिम स्वरूप, पूर्व गठित समिति के सहयोग से, शीघ्र एक माह के अन्दर सम्पन्न किये जाने का निदेश विद्यालय प्राचार्य को दिया गया।

उपकंडिका (छ) :

(i) नेतरहाट विद्यालय समिति की **नियमावली के नियम 11 : संस्था की कार्यवाही : बैठक के उपनियम (iv), (ix)** के प्रावधानों को, विद्यालय के रांची मुख्यालय कार्यालय से दूरस्थ अवस्थित होने की पृष्ठभूमि में, कतिपय संशोधन हेतु विचार–विमर्श। तद्नुसार, नियमावली में प्रावधानित विद्यालय के प्राचार्य–सह समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त, रांची मुख्यालय में कार्यरत विशेष कार्य पदाधिकारी को उक्त नियम/उपनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में नियमावली में सुसंगत नियम के अधीन उक्त आशय के प्रावधान को एक अलग नियम/उपनियम के रूप में समाहित किये जाने हेतु प्रशासी विभाग को प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

(ii) समिति द्वारा पूर्व गठित चार सदस्यीय एक उपसमिति जिसके अध्यक्ष, श्री गिरीश नाथ सिंह, पूर्ववर्ती छात्र बनाये गये थे, की ओर से एक प्रारंभिक प्रतिवेदन समिति के अवगतार्थ समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन में उपसमिति द्वारा दिनांक 25/26 फरवरी 2014 नेतरहाट परिदर्शन के दौरान उन्हें सुपुर्द विभिन्न सामग्रियों के भौतिक सत्यापन, इन सामग्रियों की अद्यतन स्थिति से संबन्धित विवरण निहित है। प्रतिवेदन में यह भी आग्रह है कि उक्त भौतिक सत्यापन के दौरान विद्यालय के संबन्धित भंडारपालों को आवश्यक मौखिक निदेश दिये गये थे जिनका अनुपालन उन्हें दिनांक 10 मार्च 2014 तक करते हुए तद्नुसार उपसमिति को संसूचित किये जाने का आग्रह किया गया था ताकि उपसमिति का अगला नेतरहाट भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके।

उक्त प्रतिवेदन से विद्यालय प्राचार्य तथा बैठक में उनके सहायतार्थ उपस्थित प्रशासनिक पदाधिकारी को अवगत कराया गया । साथ ही समिति का विद्यालय प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से यथोचित निदेश दे दें ताकि उपसमिति उन्हें सुपुर्द कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति पूर्व, 31 मार्च 2014 तक, सम्पन्न कर सके।

विद्यालय प्राचार्य द्वारा कार्यसूची की मद सं० 9 : अन्यान्य हेतु समर्पित प्रस्तावों –उपकंडिकाओं (ज) से लेकर (ध) तक पर बिन्दुवार विचार किया गया तथा निम्नानुसार बिन्दुवार, निर्णय लिये गये –

उपकंडिका (ज) : कार्यकारिणी, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक 22.10.2013 को आहूत बैठक की कार्यवाही की कंडिका 24 के अंतर्गत लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष कार्य पदाधिकारी श्री प्रयाग दुबे को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प/ज्ञापांक–2452 दिनांक 26.11.2011 के अनुरूप नियत मानदेय एवं देय अन्य भत्ते के भुगतान पर 3 वर्षों पर संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था।

इस निर्णय के आलोक में विद्यालय प्रशासन द्वारा श्री दुबे को उनकी जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार की सेवा अवधि का अंतिम मासिक मूल वेतन घटाव मासिक मूल पेंशन के अतिरिक्त, महंगाई भत्ता 20% विशेष वेतन एवं 20% आवास भत्ता भुगतान किया जा रहा है, जिसका अनुमोदन किया गया।

उपकंडिका (झ) : कृषि विज्ञान शिक्षक श्री रंजन कुमार सिंह के विद्यालय में अपनी नियुक्ति उपरान्त Pay Protection तथा तीन Increments की उनकी मांग पर विचार किया गया। समिति द्वारा इस पर विचार के क्रम में यह पाया गया कि श्री सिंह की ओर से अपनी नियुक्ति पूर्व समिति के समक्ष इस प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, तथा साथ ही, उनकी नियुक्ति, अन्य अभ्यर्थियों सहित, विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अधीन की गई। अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री रंजन कुमार सिंह के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपकंडिका (ट) : डा० भालेन्दु शेखर ठाकुर द्वारा याचित महंगाई भत्ता एवं विशेष वेतन की मांग के उनके आवेदन पर विचार–विमर्श किया गया। डा० ठाकुर को उनकी नियुक्ति पूर्व यह स्पष्टतः उन्हें संसूचित किया गया था कि उनकी नियुक्ति Consolidated वेतन तथा अन्य सुविधाओं सहित की गई है। उक्त निर्णय में समिति द्वारा सम्प्रति पुनर्विचार एवं तद्नुसार वेतन पुनरीक्षण की आवश्यकता तत्काल नहीं महसूस की गई।

उपकंडिका (ठ) : नेतरहाट विद्यालय में छात्रों के लिए दी जाने वाली खाद्य सामग्रियाँ यथा फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, चावल, दाल, तेल इत्यादि एवं पोशाक, दवा आदि का क्रय प्रत्येक वर्ष निविदा के माध्यम से होता है। निविदा में स्वीकृत दर माह फरवरी से जनवरी तक वैध रहती है। परन्तु इस वर्ष सभी सामग्रियों की गुणवत्ता एवं ब्रांड को स्तरीय रखने हेतु विद्यालय प्रशासन ने निविदा को अप्रैल 2014 माह में निर्धारित करने का विचार किया है। इसे हेतु तत्काल पुराने स्वीकृत दर पर सामग्रियों का क्रय किया जा रहा है।

अतः छात्र एवं विद्यालय हित में निविदा निर्धारण करने को समय सीमा मार्च–2014 एवं उस अवधि तक पुराने स्वीकृत दर पर सामानों के क्रय के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

उपकंडिका (ड़) : इस वर्ष कार्यकारिणी एवं सामान्य निकाय का पुनर्गठन हुआ है। नववर्ष 2014 में शिष्टाचार स्वरूप प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सामान्य निकाय एवं कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को फोल्डर, कलम, बैग एवं बैठक में जलपान दिया गया है जिसमें खर्च की कुल राशि रू० 24,100.00 है। उपरोक्त राशि के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

उपकंडिका (ढ) प्राचार्य कार्यालय, नेतरहाट विद्यालय के उपयोग हेतु 1 लैपटॉप, 2 प्रिन्टर एवं 1 मोबाईल फोन का अलग–अलग क्रय किया गया है जिसकी कुल राशि क्रमशः रू० 1,05,945.00 एवं रू० 49,500.00 है। क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

उपकंडिका (ण) : कार्यकारिणी, नेतरहाट विद्यालय समिति की बैठक दिनांक 22.10.2013 की कंडिका 6 के आलोक में विद्यालय हेतु 15 Water Purifier क्रय एवं अधिष्ठापन की स्वीकृति प्राप्त है। छात्रहित एवं विद्यालय हित में उपरोक्त सामग्रियों का सीधा क्रय बिना निविदा प्रसारित का Standard Company Eureka Forbes से किया गया। इस संबंध में प्राचार्य द्वारा सभापति, नेतरहाट

विद्यालय समिति को सूचनार्थ, पत्रांक 1895 दिनांक 04.12.2013 को प्रेषित किया गया। उक्त कम्पनी इस क्षेत्र में स्थापित संस्था है। अस्तु प्रस्तुत क्रय की प्रक्रिया का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

उपकंडिका (त) : कार्यकारिणी, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक 30.08.2013 की बैठक की कार्यवाही कंडिका 5 में छात्रों, आश्रमों एवं विद्यालय कर्मियों को जलापूर्ति व्यवस्था ठीक करने हेतु 6000 ली० टैंकर के क्रय की स्वीकृति प्राप्त है। समिति द्वारा प्राचार्य को उनके द्वारा इंगित एजेन्सी से टैंकर क्रय किये जाने के पूर्व इस प्रकार की अन्य एजेंसियों से भी Comparative rates प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

उपकंडिका (थ) : कार्यकारिणी, नेतरहाट विद्यालय समिति की बैठक दिनांक 22.10.2013 की कंडिका 11 में लिये गये निर्णय के आलोक में नवनियुक्त शिक्षकों, परामर्शदात्री, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के लिए आवासीय उपस्कर उपलब्ध कराने थे। सभी उपस्करों का क्रय प्रतिष्ठित कंपनी गोदरेज से निदेशानुसार कर लिया गया है। उपस्करों की सूची में 4 चेयर देने का प्रावधान है जो Durian कंपनी के क्रय करना था। कंपनी द्वारा संबंधित कुर्सी के Model Outdate होने की बात गई। प्रस्तावित 4 की संख्या में कुर्सियों के क्रय के प्रसंग में कुछेक अन्य एजेंसियों तथा केन्द्रीय भंडार से भी दरों को प्राप्त करने का निदेश विद्यालय प्राचार्य को दिया गया।

उपकंडिका (द) : विद्यालय में शिक्षकों के उपयोग के लिए अध्यापक कक्ष हेतु कुल 10 Filing Cabinets की आवश्यकता बतायी गयी है। प्रतिष्ठित कंपनी गोदरेज से 10 Filing Cabinets को क्रय मूल्य रू० 1,83,175.00 प्राप्त है। समिति द्वारा, प्रस्तावित क्रय को सम्प्रति तत्काल स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपकंडिका (ध) : कार्यकारिणी, नेतरहाट विद्यालय समिति की बैठक 22.10.2013 की कंडिका 15 के आलोक में विद्यालय के कृषि विभाग हेतु पावर ट्रेलर/छोटा ट्रैक्टर जिसका अनुमानित मूल्य 3.5–4.8 लाख मात्र है, के क्रय करने की स्वीकृति प्रदत्त है। उपरोक्त पॉवर ट्रिलर के क्रय हेतु महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, एवं सोनालीका कंपनी के प्राधिकृत विक्रेताओं से दर प्राप्त किया है। Technical Comparison के दौरान सोनालीका कंपनी का छोटा ट्रैक्टर ज्यादा सुदृढ़ पाया गया। अतः सोनालीका कंपनी के प्राधिकृत विक्रेता M/s Ritesh Agro Agency, Pundag Ranchi से रू० 4.8 लाख लागत मूल्य के उपर्युक्त क्रय की स्वीकृति समिति द्वारा दी गई।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

5. 3. 2014

(नरेन्द्र भगत)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।